कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग।

—:आवश्यक—सूचना:—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग की बैठक दिनांक 01-12-2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आहूत थी एवं अपरिहार्य कारणवश स्थगित की गयी थी अब दिनांक **22.03.2021** को **11:30** बजे पूर्वाह्न में आयुक्त—सह—अध्यक्ष, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के सभा—कक्ष में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों पर वातानुकूलित बस सेवा, सामान्य बस सेवा आदि से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। परमिट से संबंधित आवेदन **Online** **spermit.jharkhand.gov.in** पर ही स्वीकार किए जाएगें। पूर्व में प्रकाशित आवेदन समर्पित करने तथा अन्य तिथियों में संशोधन करते हुए निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

Online आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**28-02-2021** तक
समय—सारिणी का प्रकाशन **spermit.jharkhand.gov.in** पर	**01-03-2021**
Online आपत्ति देने की अंतिम तिथि	**07-03-2021** तक

1. **Online** आवेदन संबंधित वाहन के अद्यतन कागजातों यथा निबंधन पुस्तिका, अद्यतन कर प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण—पत्र, बीमा प्रमाण—पत्र (कम से कम दिनांक 22.03.2021 तक मान्य) सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया—प्रति एवं श्रम विभाग का निबंधन प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ **Upload** होना आवश्यक है। जिन वाहनों के कागजात अद्यतन नहीं है उनके आवेदन पर प्राधिकार की बैठक में परमिट की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. पूर्व से किसी मार्ग पर परमिट से आवृत वाहन पर परमिट प्रत्यार्पण का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आवेदन विचारार्थ बैठक में रखा जाएगा तथा स्थायी परमिट से आवृत वाहनों का प्रत्यार्पण के पश्चात् केवल स्थायी परमिट के लिए ही प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा,
3. परमिट निर्गत के समय स्व—घोषणा पत्र देना होगा जिसमें सभी कागजातों की सत्यता, वाहन के स्पेयर के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा,
4. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिए जाने वाले आवेदन—पत्रों के साथ परमिट की प्रति, निबंधन—पुस्तिका, अद्यतन कर—प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण—पत्र, प्रदुषण प्रमाण—पत्र, बीमा प्रमाण—पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्रों की छाया—प्रति की स्व—हस्ताक्षरित प्रति **Upload** किया जाना अनिवार्य होगा,
5. नवीकरण से संबंधित आवेदनों पर बैंक/वित्त पोषक कंपनी से वित्त प्रदत्त रहने पर संबंधित बैंक/वित्त पोषक कंपनी का अनापत्ति प्रमाण—पत्र **Upload** करना अनिवार्य होगा,
6. प्रस्तावित समय—सारिणी पर की जाने वाली आपत्ति संबंधित परमिट समय—सारिणी की स्व—हस्ताक्षरित प्रति एवं मान्य शुल्क के साथ **Upload** किए जाने पर ही आपत्तियों को विचार हेतु प्राधिकार की बैठक में सम्मिलित किया जाएगा। आपत्ति आवेदन में स्पष्ट रूप से आपत्ति बिंदु का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा,
7. झारखंड सरकार द्वारा Covid-19 के रोकथाम हेतु जारी दिशा—निर्देश के आलोक में सभी वाहन स्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकृत अधिवक्ता सामाजिक दूरी (Social Distance) का पालन करते हुए एवं मास्क तथा सैनिटाईजर का उपयोग करते हुए बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेगें। मास्क के बिना सभा—कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
8. Covid-19 के दुष्प्रभाव को देखते हुए समय—सारिणी की सुनवाई एजेंडवार की जाएगी जिसमें आवेदक के अतिरिक्त संबंधित आपत्तिकर्त्ता ही समय—सारिणी की सुनवाई के कम में प्राधिकार के समक्ष उपस्थित रहेगें।
9. समय—सारिणी की सुनवाई के कम में यदि किसी परमिट आवेदन में प्रस्तावित समय—सारिणी में संशोधन/संशोधित समझौता समय—सारिणी प्राधिकार के समक्ष समर्पित की जाती है तो उसके प्रकाशनोपरांत समय—सारिणी पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में परमिट की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
10. **परमिट की स्वीकृति के उपरांत संबंधित मोटरयान निरीक्षक का मार्गीय सवारी बस के परमिट हेतु वाहन का भौतिक सत्यापन जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करने के उपरांत ही परमिट निर्गत किया जाएगा। विहित प्रपत्र spermit.jharkhand.gov.in के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।**
11. किसी भी प्रकार के **Offline** आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें।

उपरोक्त दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण आवेदनों को प्राधिकार की बैठक में विचारार्थ नहीं रखा जाएगा।

आयुक्त—सह—अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।

उप—परिवहन आयुक्त सह सचिव
उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार
हजारीबाग।